भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 666
(जिसका उत्तर मंगलवार, 22 नवंबर, 2016 को दिया गया)
सीएसआर गतिविधियों की दिशा में कारपोरेट योगदान

666. श्री प्रताप सिंह बाजवा:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न कारपोरेट कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए किए गए योगदान का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ऐसे मामले हैं जिनमें कारपोरेट ने कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित कारपोरेट सामाजिक दायित्व का (गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान) पालन न किया हो, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) कारपोरेट द्वारा ऊपर उल्लिखित दायित्व का पालन न किए जाने के प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा लगाई गई शास्तियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क): वर्ष 2014-15 के लिए 7334 कंपनियों, जिनके आंकड़े समेकित किए गए हैं, द्वारा सरकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों पर किए गए व्यय सहित क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय, अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग): कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा 496 कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ण) के साथ पठित धारा 135 का अनुपालन न करने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 22 नवंबर, 2016 को राज्य सभा में उत्तर देने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 666 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय (वित्तीय वर्ष 2014-15)

क्र.सं.	अनुसूची-VII में विषय	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	स्वास्थ्य/भूखमरी, गरीबी, कुपोषण और निवारण/डब्ल्यूएएसएच	2245.58
2.	शिक्षा/विक्लांगजन/जीविका	2728.11
3.	लैंगिक समानता/महिला सशक्तिकरण/वृद्धाश्रम/असमानता हटाना	325.96
4.	पर्यावरण और पशु कल्याण	1212.63
5.	विरासत कला और संस्कृति	157.20
6.	खेलों को प्रोत्साहन	159.64
7.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	192.24
8.	ग्रामीण विकास	1016.98
9.	स्लम विकास	122.75
10.	स्वच्छ भारत कोष	121.47
11.	निर्मल गंगा कोष	19.25
12.	अन्य कोई कोष	36.31
13.	अनुसूची-VII के अन्य क्षेत्र (सशस्त्र सेनाओं को प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर और लाभ, प्रशासनिक शीर्ष, कोष में योगदान आदि)	305.50
14.	अन्य (*)	159.38
	कुल	**8803.00**

*कुल 159.38 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया गया क्योंकि कुछ कंपनियों ने अपने वास्तविक सीएसआर व्यय के लिए किए गए समस्त सीएसआर कार्यकलापों का उल्लेख नहीं किया था।

*****